स्वाधीनता दिवस समारोह–2016
परमावश्यक

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषयः– स्वाधीनता दिवस समारोह–2016 के अवसर पर सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/जिला परिषदों व राज्य सरकार की अन्य संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान करने बाबत।

आगामी स्वाधीनता दिवस समारोह, 2016 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राजकीय उपक्रम विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/जिला परिषदों व राज्य सरकार की अन्य संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी विशिष्ठ सेवाओं के लिये योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जायेंगे, जिनके लिए प्रस्ताव विचारार्थ अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु उनके सेवाकाल के संबंध में विवरण तथा उनकी सेवायें किस प्रकार असाधारण रूप से उपयोगी सिद्ध हुई, उसके संबंध में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रशासनिक सचिव की टिप्पणी सहित संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर, प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में दिनांक 25.07.2016 तक मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवा दिये जावें, ताकि यथा समय उन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। **इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।**

प्रस्ताव भेजते हुए कृपया निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्ताव भेजा जावे अन्यथा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जावेगाः–

1. प्रस्ताव प्रशासनिक सचिव की सिफारिश व संबंधित मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर भेजें।
2. प्रस्ताव के साथ गत **सात वर्षों** (यथा वर्ष 2009–2010 से 2015–16 तक) के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन **परमावश्यक** रूप से भेजें। विभाग द्वारा अपने स्तर पर परीक्षण किया जाकर न्यूनतम दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन **"उत्कृष्ट"** श्रेणी तथा शेष **"बहुत अच्छा"** श्रेणी के होने पर ही प्रस्ताव प्रेषित किया जावें। अन्यथा प्रस्ताव को अपूर्ण मानकर उस पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. प्रस्ताव छः प्रतियों में प्रेषित करें।
4. प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियाँ पूर्ण करें।
5. प्रस्ताव के साथ प्रशस्ति पत्र हिन्दी भाषा में छः प्रतियों में स्वच्छ टंकित कर संलग्न करें।

कृ.पृ.उ.

6. एक विभाग / संस्था से केवल एक ही अधिकारी या कर्मचारी का प्रस्ताव भेजें।
7. प्रपत्र में कॉलम–5 को गोपनीय प्रतिवेदन देखकर प्रमाणित करें।
8. जिनको पूर्व में योग्यता प्रमाण–पत्र से सम्मानित किया जा चुका है, उनके प्रस्ताव नहीं भेजें तथा प्रत्येक प्रस्ताव भेजते समय यह भी प्रमाणित करें कि पूर्व में योग्यता प्रमाण–पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।
9. प्रस्ताव अशा० टीप के साथ यह उल्लेख कर कि **"इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के पिछले 7 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन का नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है"** प्रेषित किये जावें।

प्राप्त प्रस्तावों पर गठित समिति विचार–विमर्श कर योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने हेतु नामों की सिफारिश करेंगी।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर

क्रमांक : प.1(क)(24)का / आरएमएस / डीएलबी / 16 / 10395–585 दिनांक : 13-7-16

प्रतिलिपी समस्त आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में प्रस्ताव अविलम्ब विभाग को भिजवावें।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक